IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

मंदसौर (पश्चिमी मालवा) के प्रमुख ठिकानों का ऐतिहासिक अध्ययन

[1]सुरेश देवड़ा , [2]डॉ अल्पना दुभाषे

[1]सहायक प्राध्यापक इतिहास ,महाराणा प्रताप शासकीय महाविद्यालय सुवासरा जिला मंदसौर (म.प्र.),

[2]विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग ,PMCoE शासकीय माधव महाविद्यालय उज्जैन (म.प्र.)

सार

यह शोध पत्र तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1817-1818) में होलकर की हार के बाद पश्चिमी मालवा विशेषत: मंदसौर क्षेत्र में जॉन मॉल्कम द्वारा स्थापित ब्रिटिश गारंटी व्यवस्था पर गहराई से प्रकाश डालता है। मालवा क्षेत्र की अराजकता को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लाई गई यह व्यवस्था केवल छोटे जागीरदारों को सुरक्षा देने का काम नहीं थी, बल्कि मराठा (होलकर और सिंधिया) शासकों की शक्ति को सीमित करने और पूरे क्षेत्र में ब्रिटिश सर्वोच्चता को निर्णायक रूप से स्थापित करने का एक कुशल साधन थी।

इस शोध पत्र में मध्यस्था व्यवस्था के अंतर्गत पश्चिमी मालवा के मंदसौर क्षेत्र के प्रमुख ठिकानों का विश्लेषण किया गया है। इनमें सीतामऊ रियासत (स्वायत्त एवं सलामी प्राप्त राज्य), भाटखेड़ी (जिसका विलय विद्रोह के बाद हुआ), तथा जावरा के अधीन बिलोद (कर-मुक्त) और मल्हारगढ़ क्षेत्र (जहाँ जागीरदारों ने वंशानुगत अधिकारों के लिए संघर्ष किया) शामिल हैं। अंततः इस व्यवस्था के माध्यम से मालवा और मंदसौर कि क्षेत्र में एक अभूतपूर्व राजनीतिक स्थिरता आई और अंग्रेजों ने स्थानीय शक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए स्वयं को 'परम निर्णायक' के रूप में स्थापित किया।

मुख्य शब्द :-

ब्रिटिश गारंटी व्यवस्था, मध्यस्थता व्यवस्था, जॉन मॉल्कम, मंदसौर की संधि, सीतामऊ, भाटखेड़ी,टाँका/खिराज, जागीरदार एवं ठिकाने, मालवा एजेंसी

शोध पद्धति:-

प्रस्तुत शोध मंदसौर जिले के ब्रिटिश गारंटी प्राप्त ठिकानों का एक ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक, गुणात्मक अध्ययन है। यह शोध जॉन मॉल्कम की 1818 की मध्यस्थता व्यवस्था के संदर्भ में इन ठिकानों की स्थिति, उनके जागीरदारों तथा राजस्व/टाँका भुगतान की व्यवस्था पर केंद्रित है। सामग्री का संग्रह प्राथमिक स्रोतों (संधियाँ, सनदें, गज़ेटियर, और रिपोर्टों) तथा द्वितीयक स्रोतों (ऐतिहासिक पुस्तकें, शोध प्रबंध, और जर्नल लेख) से किया गया है।

मालवा-मंदसौर क्षेत्र में ब्रिटिश हस्तक्षेप:-

तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1817-1818 ई.) के पश्चात् लॉर्ड हेस्टिंग्ज़ ने जॉन मॉल्कम को मध्य भारत का सैन्य एवं राजनीतिक प्रमुख बनाया इसके साथ ही मालवा में ब्रिटिश प्रभाव के नवीन युग की शुरुआत हुई । मंदसौर की संधि द्वारा मालवा के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्गठन हुआ। मंदसौर क्षेत्र में ब्रिटिश हस्तक्षेप सैन्य रणनीति एवं कूटनीति का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य यहाँ मराठा (होलकर एवं सिंधिया) के प्रभाव को कम कर एक स्थायी ब्रिटिश शांति की स्थापना करना था।

मंदसौर की संधि के अनुच्छेद 12 के तहत् जावरा को होल्कर से स्वतंत्र एक प्रथम श्रेणी का राज्य बना दिया गया। इस कदम से होल्कर की शक्ति कम हुई और अंग्रेजों को एक वफादार नवाब मिला।[1] जॉन मॉल्कम ने इस क्षेत्र में अप्रत्यक्ष शासन की नीति अपनाई और जागीरों के सम्बन्ध में 'ब्रिटिश गारंटी' की व्यवस्था लागू की, अब ब्रिटिश सरकार 'मध्यस्थ एवं परम शक्ति' की भूमिका में आ गई।[2]

यह व्यवस्था मुख्य रूप से जनवरी 1818 से लागू हुई, जब मंदसौर की संधि और सिंधिया के साथ समझौते हुए। मॉल्कम ने 1818 से 1821 के मध्य विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए।[3] इस व्यवस्था के अन्तर्गत मॉल्कम ने बड़ी रियासतों (सिंधिया, होल्कर, देवास, धार) और उनके अधीनस्थ जागीरदारों के बीच विवादों को सुलझाया। ब्रिटिश गारंटी के माध्यम से जागीरदारों को अपने क्षेत्र एवं अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त हुई। इसके बदले उन्हें एक निश्चित निर्धारित राशि अपनी मूल रियासत को देना थी तथा अपने क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था को बनाए रखना था। इस व्यवस्था के माध्यम से रतलाम के शासक को 84000, सैलाना के शासक को 42,000 तथा सीतामऊ के शासक को 60,000 रुपए सिंधिया को भुगतान करने की शर्त पर गारंटी प्रदान की गई।[4] मंदसौर के संबंध में जावरा राज्य के संजीत के बिलौद, मल्हारगढ़ क्षेत्र के ठिकानों, सीतामऊ रियासत तथा होल्कर क्षेत्र के भाटखेड़ी ठिकाने को ब्रिटिश गारंटी प्रदान की गई थी।

[1] Government of India. (1916). *Memoranda on native states in India, 1915*. Superintendent Government Printing, India. page 68

[2] Malcolm, J. (1824). *A memoir of Central India, including Malwa, and adjoining provinces* (2nd ed., Vol. 2). Kingsbury, Parbury, & Allen. Page 414&264

[3] Harrington, Jack. “No longer Merchants, but Sovereigns of a vast Empire”: The writings of Sir John Malcolm and British India, 1810 to 1833. 2009. University of Edinburgh, PhD dissertation.

[4] **उक्त (1824) उक्त 51,101,143,264, 413-453**

जॉन मॉल्कम की मध्यस्थता व्यवस्था के मुख्य बिंदु :-

- ब्रिटिश गारंटी की व्यवस्था : बड़ी रियासतों (होल्कर, सिंधिया) और उनके अधीनस्थ छोटे जागीरदारों के मध्य ब्रिटिश सरकार मध्यस्थ की भूमिका में थी, जिसके माध्यम से छोटे जागीरदारों को उनके अधिकारों और क्षेत्र की सुरक्षा प्राप्त हुई, और अब बड़ी रियासतें जागीरदारों से मनमानी नहीं कर सकती थीं।
- वंशानुगत अधिकारों की मान्यता : ऐसे जागीरदार जो युद्ध के दौरान अपनी जागीरें खो चुके थे, उन्हें वंशानुगत आधार पर पुनः उनके क्षेत्र में बसाया गया तथा उन्हें कानूनी रूप से संरक्षण दिया गया।
- निश्चित खिराज/टंका की व्यवस्था : जागीरदार को अपनी मूल रियासत को एक निर्धारित राशि देना थी, जिसके बदले में रियासत को जागीरदार के आंतरिक मामलों में दखल का अधिकार नहीं था।
- विद्रोही तत्वों का समावेशन : विद्रोही जागीरदारों, भील, धासिया आदि को मुख्य धारा में लाने हेतु इस शर्त पर भूमि अनुदान किया गया कि वे अपने क्षेत्र के अधीन व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा करेंगे और भविष्य में लूटपाट नहीं करेंगे।
- लॉर्ड पैरामाउंट के रूप में ब्रिटिश सर्वोच्चता : यद्यपि जागीरदार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र थे, किंतु मॉल्कम ने यह स्पष्ट किया कि किसी बड़े विवाद या युद्ध की स्थिति में अंतिम निर्णय ब्रिटिश सरकार का होगा।

मॉल्कम की यह व्यवस्था 'हस्तक्षेप रहित निगरानी की थी। इसके माध्यम से अंग्रेजों ने मालवा में शक्ति - सन्तुलन की स्थापना की। अब अंग्रेज रियासतों और जागीरदारों के बीच मध्यस्थ के रूप मे थे और किसी भी विवाद में वें अंतिम निर्णायक बन गए थे। 1818 ई. से पूर्व मालवा की अव्यवस्था एवं अशांति के दौर को ब्रिटिश गारंटी व्यवस्था ने समाप्त कर दिया और एक अभूतपूर्व शांति की स्थापना की।

मंदसौर के प्रमुख गारंटीड ठिकाने

सीतामऊ राज्य:-

सीतामऊ राज्य की स्थापना 1701 ई. में रतनसिंह (रतलाम के संस्थापक) के पोते केशवदास ने की थी।[5] सीयू एइचिसन के अनुसार यह मालवा एजेंसी के अन्तर्गत "प्रथम श्रेणी का मध्यस्थता प्राप्त राज्य" था। सीतामऊ की स्वायत्तता ब्रिटिश गारंटी और समझौते पर आधारित थी। यह राज्य केवल भारत सरकार को नजराना देने के लिए उत्तरदायी था न कि किसी रियासत को। सीतामऊ और ग्वालियर रियासत के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए जॉन मॉल्कम ने मध्यस्थता की। महाराजा दौलतराव सिंधिया और राजा राजसिंह के मध्य समझौता हुआ जिसके अनुसार सीतामऊ को ग्वालियर दरबार को 60,000 टंका देना था। बदले में सिंधिया सीतामऊ के आंतरिक मामले

[5] **बारहट, श. (2002). सीतामऊ राज्य का इतिहास. श्री नटनागर शोध संस्थान, पृष्ठ 21**

में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। राजसिंह के निरंतर अनुरोध एवं अंग्रेजों की सिफारिश के आधार पर, सिंधिया ने वार्षिक टंका में 5,000 रुपए की कमी कर दी थी।

इस प्रकार सीतामऊ रियासत स्वायत्त थी जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा 11 तोपों की सलामी का अधिकार था। 1885 ई. में जब भवानी सिंह की मृत्यु हुई तब बहादुर सिंह उनके उत्तराधिकारी बने। इस समय सिंधिया ने उत्तराधिकार हेतु परामर्श करने का दावा किया, किन्तु 1820 ई. के समझौते के आधार पर अंग्रेजों ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार सीतामऊ रियासत को प्रशासनिक एवं न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त थीं।[6]

ब्रिटिश नीति के माध्यम से सीतामऊ जैसे राजपूत राज्य से मराठा (सिंधिया) का प्रभाव खत्म हो गया। यह शक्ति संतुलन मंदसौर में शांति व्यवस्था के लिए आवश्यक था। टंका को जारी रखा गया ताकि सिंधिया को आर्थिक नुकसान न हो तथा 'नजराना' एवं 'उत्तराधिकार के अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रखे ताकि राजनैतिक नियंत्रण उनके पास रहे।

भाटखेड़ी :-

मंदसौर के रामपुरा क्षेत्र में होल्कर राज्य के अधीन एक प्रमुख 'गारंटीड' जागीर थी। रामपुरा के राव अचलसिंह ने 1444 ई. (संवत 1501 वि.) में लाला बिजावत के दूसरे पुत्र उदयसिंह को 'रावत' की उपाधि, और 25 गाँव सहित भाटखेड़ी की जागीर प्रदान की थी।[7]

सन् 1821 में रामपुरा की सीमा पर विद्रोह हुआ, जिसमें भाटखेड़ी के जागीरदार की प्रमुख भूमिका थी। ब्रिटिश सरकार ने महिदपुर से सेना भेज कर इस विद्रोह को दबा दिया। 30 अक्टूबर 1821 ई. को ब्रिटिश अधिकारी एलेक्जेंडर मैकडोनाल्ड (जॉन मॉल्कम का सहायक) ने भाटखेड़ी के रावत करण सिंह को परवाना जारी किया। जिसमें विद्रोह के दंड स्वरूप 5 गाँव (देतोली, मोकमपुरा, खैमपुरा, गोपालपुरा, पोखरा) इंदौर राज्य की खालसा भूमि में मिला दिए गए। भविष्य में विद्रोह न करने तथा सरकार के प्रति निष्ठावान बने रहने की शर्त पर भाटखेड़ी गाँव जागीर के रूप में दिया गया, ब्रिटिश सुरक्षा की गारंटी दी गई। इस जागीर के अंतिम ब्रिटिश गारंटी धारक रावत सज्जन सिंह थे। 1908 में इनकी मृत्यु के पश्चात् कोई उत्तराधिकारी नहीं होने से ब्रिटिश गारंटी समाप्त हो गई और 1909 ई. में इस जागीर का विलय इंदौर दरबार में कर दिया गया।यद्यपि विलय हो गया किन्तु इंदौर दरबार ने रावत की विधवा को उनके जीवनकाल तक जागीर की आय का उपभोग करने की अनुमति दी। इस प्रकार 1909 से पहले भाटखेड़ी जागीर मालवा एजेंसी के अधीन थी।[8]

---

[6] Aitchison, C. U. (1933). *A collection of treaties, engagements and sanads relating to India and neighbouring countries: Vol. IV.* Government of India Central Publication Branch. Page 259,260,297

[7] **दुबे शरतचंद्र,1982,रामपुरा का इतिहास,शोध प्रबन्ध,विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, पृष्ठ 218**

चंद्रावतों का पाटनामा, क्र 01,प.245 ख,

[8] **उक्त, 1933, page 21&25,87**

जावरा राज्य के अधीन गारंटीड ठिकाने:-

मंदसौर की संधि (1818) की धारा 12 के तहत जावरा राज्य का उदय हुआ। यह सीतामऊ की तरह ब्रिटिश गारंटी प्राप्त रियासत थी। कैप्टन सी.ई. लुआर्ड के अनुसार रियासत के अधीन 22 ठाकुरों को ब्रिटिश गारंटी दी गई थी[9] जिनमें से मल्हारगढ़ एवं संजीत क्षेत्र के ठाकुर मंदसौर जिले में स्थित थे।

बिलोद (संजीत परगना):-

ए.यू. ऐचिसन के अनुसार यह मंदसौर जिले में जावरा रियासत के संजीत परगने का 'ब्रिटिश गारंटी प्राप्त कर-मुक्त गाँव' था। जावरा के प्रथम नवाब गफूर खान द्वारा यह जागीर होल्कर और ब्रिटिश सरकार की सेवा के बदले वंशानुगत आधार पर 'कर-मुक्त' रूप से हाकिम मीर जफर अली को प्रदान की गई थी। 11 जनवरी 1819 में कैप्टन बोर्थविक ने बिलोद (बेलोंडा) के लोगों को बेगार और अन्य करों से मुक्त रखने के लिए घोषणा जारी की थी।[10] सी.ई. लुआर्ड के अनुसार बिलोद के ठाकुर का दर्जा पिपलोदा के बराबर था। एक और विशेष बात यह थी कि जहाँ पिपलोदा को टाँका देना पड़ता था, वहीं बिलोद कर-मुक्त जागीर थी। यह इस ठिकाने की उच्च प्रतिष्ठा और स्वायत्तता को दर्शाता है।[11] यह जागीर वंशानुगत आधार पर प्रदान की गई थी, इसलिए जफर अली के बाद उनके पुत्र मुहम्मद समन अली, फिर मुहम्मद जमीन अली और सन् 1933 के समय सैय्यद गुलाम अब्बास इसके गारंटेड जागीरदार हुए।[12] इस प्रकार बिलोद मंदसौर जिले के उन दुर्लभ गाँवों में से था, जिसकी सुरक्षा के सम्बन्ध में मॉल्कम ने हस्तक्षेप किया और इसे जावरा रियासत के अन्दर एक स्वायत्त एवं कर-मुक्त इकाई के रूप में ब्रिटिश गारंटी दिलवाई।

मल्हारगढ़ के ठिकाने:-

सी.ई. लुआर्ड के अनुसार, मंदसौर क्षेत्र में जावरा राज्य के अधीन मल्हारगढ़ के 11 ठाकुर ब्रिटिश गारंटी प्राप्त वंशानुगत पट्टेदार (Mustajirs) थे। इन पट्टों में समय-समय पर संशोधन (भुगतान एवं शर्तों) किया जा सकता था।[13] सन् 1821 में जॉन मॉल्कम और उनके सहायकों (जैसे एलेग्जेंडर मैकडोनाल्ड) की मध्यस्थता से मल्हारगढ़ के ठाकुरों और जावरा राज्य के मध्य समझौता हुआ। ये जागीरदार स्वयं को स्वतंत्र मानते थे, किंतु अंग्रेजों ने इन्हें 'गारंटीड पट्टेदार' या 'मुस्तजिर' का दर्जा दिया।[14] इस समझौते के अंतर्गत मल्हारगढ़ के निम्न ठिकानेदारों को गारंटी मिली थी:[15]

---

[9] Luard, C. E. (1908). The central India gazetteer series,western states (Malwa) Gazetteer.vol 4. Page 188

[10] **उक्त 1933.page 304-305.**

[11] **उक्त 1908,Page 188..**

[12] **उक्त 1933.page 266**

[13] **उक्त 1908,Page 188..**

[14] **उक्त 1933.page 255**

[15] **उक्त 1933.page 285-288**

क्र	ठिकाना	ठाकुर	गाँव की संख्या
1	सनोड़ा	औंकार सिंह	09
2	मुड़ेरी	बोपत सिंह	01
3	हरसोर और टोरी	माधोसिंह और कुमान सिंह	02
4	बरखेड़ा देव डूंगरी	किशन सिंह	03
5	बरखेडी	जालिम सिंह	01

मल्हारगढ़ के ठाकुरों को अपने दर्जे और लगान की दर को लेकर जावरा के नवाब से गहरा विरोध था। ठाकुरों का पक्ष: ये ठाकुर स्वयं को स्वतंत्र और स्वायत्त मानते थे, जो जावरा नवाब को एक निश्चित राशि कर (टोंका/खिराज) के रूप में देते थे।जबकि नवाब के अनुसार, ये ठाकुर 'मुस्तजिर' (पट्टेदार) थे, जिन्हें निश्चित अवधि के लिए जागीर दी जाती थी और समय के अनुसार इसकी लगान की दर में भी परिवर्तन किया जा सकता था।ठाकुर इस 'पट्टेदार' व्यवस्था को अपनी पुरानी सनदों के विरुद्ध मानते थे। विवाद को समाप्त करने के लिए, जावरा के नवाब ने 'उदार व्यवस्था' लागू करके 30 वर्ष के लिए पट्टा देने की व्यवस्था की। परंतु ठाकुरों ने इस व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। उन्हें भय था कि इस व्यवस्था को स्वीकार करने पर उनकी ब्रिटिश गारंटी समाप्त हो जाएगी और उनकी स्थिति जागीरदार के बजाय एक सामान्य किराएदार के समान हो जाएगी। हालांकि 1890 ई. तक अधिकांश ठाकुरों ने इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था, फिर भी उनके विरोध की स्थिति बनी रही।[16] निरंतर विरोध और ब्रिटिश आदेशों की अवहेलना की स्थिति में 1916 में उन्हें चेतावनी दी गई, परंतु परिस्थिति में परिवर्तन नहीं आया।

ब्रिटिश गारंटी व्यवस्था का मंदसौर क्षेत्र पर प्रभाव:-

- राजनीतिक एवं क्षेत्रीय स्थिरता: रियासतों (ग्वालियर, इंदौर, जावरा) और छोटे जागीरदारों/ठिकानों के मध्य सीमा तथा राजस्व संबंधी विवादों का समाधान हुआ, जिससे क्षेत्र में शांति एवं राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुई।
- छोटे जागीरदारों को सुरक्षा: छोटे जागीरदारों और ठिकानों को शक्तिशाली मूल रियासतों से सुरक्षा प्राप्त हुई, जिससे उनकी वंशानुगत स्वायत्तता और अधिकार सुरक्षित हुए।
- निश्चित राजस्व/टाँका व्यवस्था: गारंटी व्यवस्था के तहत जागीरों का लगान या टाँका निश्चित कर दिया गया। अब मूल रियासतें अपनी इच्छा अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती थीं, जिससे जागीरदारों को आर्थिक स्थिरता मिली।

[16] **उक्त** 1933.page 255

- ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना: यह व्यवस्था ब्रिटिश शक्ति को 'परम शक्ति' के रूप में स्थापित करने का माध्यम बनी। गारंटी देना या वापस लेना अंग्रेजों के हाथ में था (उदाहरणार्थ: भाटखेड़ी और मल्हारगढ़ के कुछ ठिकानों की गारंटी वापस ले ली गई, जिससे उनका विलय हो गया), जिसने ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण को सर्वोच्च बना दिया।
- शक्ति संतुलन: मालवा में होलकर और सिंधिया के प्रभाव को सीमित किया गया तथा छोटे राज्यों को बढ़ावा देकर शक्ति का संतुलन स्थापित किया गया, जो ब्रिटिश हितों के अनुकूल था।

निष्कर्ष

तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1817-1818 ई.) के बाद मंदसौर का क्षेत्र अराजकता, क्षेत्रीय अस्थिरता और मराठा नियंत्रण के कमजोर पड़ने से जूझ रहा था। इस नाजुक स्थिति को संभालने के लिए, जॉन मॉल्कम ने जिस ब्रिटिश गारंटी की व्यवस्था (Mediatisation System) को लागू किया, वह वास्तव में एक चतुर कूटनीतिक दाँव था। इसका दोहरा उद्देश्य था: एक ओर मालवा के जटिल सामंती ढांचे को एक निश्चित व्यवस्था देना, तो दूसरी ओर होलकर और सिंधिया जैसे मराठा शासकों के प्रभाव को निर्णायक रूप से सीमित करना। हालांकि, इस अध्ययन से यह स्पष्ट है कि यह व्यवस्था सिर्फ जागीरदारों को सुरक्षा देने की नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश सत्ता को इस पूरे क्षेत्र में सर्वोच्च बनाना था। उदाहरण के लिए, सीतामऊ को 11 तोपों की सलामी और स्वायत्तता मिली, जो राजपूत राज्यों के प्रति अंग्रेजों के चयनात्मक पक्ष को दर्शाता है। इसके विपरीत, भाटखेड़ी के जागीरदार को विद्रोह के कारण न केवल कुछ गाँव खोने पड़े, बल्कि 1909 में गारंटी समाप्त होने पर उसका विलय भी हो गया। वहीं, मल्हारगढ़ के ठाकुरों का जावरा नवाब के 'पट्टेदार' वाले दर्जे का विरोध कर पाना इस बात का सबूत है कि ब्रिटिश गारंटी उन्हें अपने वंशानुगत अधिकारों की सुरक्षा दे रही थी। बिलोद को कर-मुक्त जागीर का विशेष दर्जा मिलना इस पूरी व्यवस्था की जटिलता और चयनात्मक प्रकृति को स्पष्ट करता है।

अंततः, इस व्यवस्था ने पश्चिमी मालवा में स्थिरता लाते हुए शक्ति-संतुलन को ब्रिटिश पक्ष में झुका दिया। इसके अलावा, इसने 'निश्चित खिराज/टाँका' वाली राजस्व व्यवस्था को लागू किया। कुल मिलाकर, अंग्रेजों ने खुद को सभी रियासतों और जागीरदारों के बीच 'परम शक्ति' के रूप में स्थापित किया। इस तरह मंदसौर क्षेत्र के इन ठिकानों को सुरक्षा देकर, ब्रिटिश शासन ने उन्हें अपना वफादार सहयोगी बना लिया, जिससे इस पूरे इलाके में एक ऐसे नए राजनीतिक-प्रशासनिक युग की शुरुआत हुई जो पूरी तरह से ब्रिटिश हितों के अनुकूल था।

संदर्भ

1. Government of India. (1916). *Memoranda on native states in India, 1915*. Superintendent Government Printing, India. page 68
2. Malcolm, J. (1824). *A memoir of Central India, including Malwa, and adjoining provinces* (2nd ed., Vol. 2). Kingsbury, Parbury, & Allen. Page 414&264
3. Harrington, Jack. "No longer Merchants, but Sovereigns of a vast Empire": The writings of Sir John Malcolm and British India, 1810 to 1833. 2009. University of Edinburgh, PhD dissertation.
4. बारहट, श. (2002). सीतामऊ राज्य का इतिहास. श्री नटनागर शोध संस्थान, पृष्ठ 21
5. Aitchison, C. U. (1933). *A collection of treaties, engagements and sanads relating to India and neighbouring countries: Vol. IV*. Government of India Central Publication Branch. Page 259,260,297
6. दुबे शरतचंद्र,1982,रामपुरा का इतिहास,शोध प्रबन्ध,विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, पृष्ठ 218
7. चंद्रावतों का पाटनामा, क्र 01,प.245 ख
8. Luard, C. E. (1908). The central India gazetteer series,western states (Malwa) Gazetteer.vol 4. Page 188